(320

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011 3204 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/07/18

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड को समारोह आयोजित करते हुए वितरण कराने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना– 17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक– 2150 दिनांक– 07.05.2018 ।

महाशय,

राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों एवं विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का चयन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित किया गया है । छूटे हुए लाभार्थियों को आच्छादित करने एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करने हेतु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत तीन नई सेवाएँ यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण शामिल किया गया है, जिसके आलोक में उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश देते हुए RTPS के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है । दिनांक– 07.06.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में भी जिलों में RTPS के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करते हुए 15 जुलाई, 2018 तक राशन कार्ड निर्गत कर वितरित कराने का निदेश दिया गया है ।

उक्त के आलोक में पुनः बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निपटारा 15 जुलाई, 2018 तक हर–हाल में करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित करें ताकि प्रत्येक जिला मुख्यालय में समारोह आयोजित करते हुए नये निर्गत राशन कार्ड का वितरण कराना सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
6/7/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–06/विविध–32/2011 3204 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/07/18

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/7/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–06/विविध–32/2011 3204 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/07/18

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/7/2018
सरकार के सचिव ।

D:\Year-2017\SECTION-06\Vividh Avi.doc